न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

फौजदारी वाद संख्या-160/ 2024

उत्तर प्रदेश राज्य..अभियोजक।

बनाम

अनीस पुत्र जुबेर,

निवासी ग्राम बोधीपुरवा, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर।

....................अभियुक्त।

अपराध संख्या-279/ 2023
धारा-3/ 28 ट्रॉजिट अधिनियम
थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर।

निर्णय

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनीस मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पुलिस थाना रामपुर मथुरा द्वारा अभियुक्त अनीस के विरुद्ध अपराध संख्या-279/ 2023, धारा-3/ 28 ट्रॉजिट अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी उ०नि० हरिनाथ यादव द्वारा थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लिखायी गयी कि, "दिनांक-07.09.2023 को जरिये देखभाल क्षेत्र मामूर था कि वाहन संख्या-UP34AY9121 ट्रैक्टर महिन्द्रा 265 को रोककर चेक किया गया तो चालक ने अपना नाम अनीस पुत्र जुबैर बताया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी लकड़ी पापुलर, सेमर, जैती के बोटों के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब मेरे घर पर खरीदने एवं बेचने का काम होता है, मैं इसे बेचने के लिए जहांगीराबाद गोंड़ेचा आदि जगहों पर बेचने लेकर जा रहे हैं। जब चालक से परिवाहन करने का परमिट मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा।"

4. अभियुक्त **अनीस** की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छया जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमें के निस्तारण की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें उसने घटना को स्वीकार किया तथा अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार करना कहा।

6. अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उसके विरुद्ध धारा-3/ 28 ट्रॉजिट अधिनियम का आरोप साबित है। अतः अभियुक्त उपर्युक्त जुर्म इकबाल बयान के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त को धारा-3/ 28 ट्रॉजिट अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

लंच बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली न्यायालय के समक्ष पुनः पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.06.06 17:50:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D.)/J.M. Mahmoodabad, Sitapur.

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। वह घर का अकेला कमाने वाला है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्त की ओर से व्यक्तिगत रूप से कथन किया गया कि वह अपने घर का अकेला कमाने वाला सदस्य है एवं वह गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है और उसे न्यायालय द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

उक्त वाद न्यायालय के समक्ष वर्ष 2024 से लम्बित है। अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा गरीब मजदूरी पेशा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त **अनीस** को अपराध संख्या-279/2023, धारा-3/28 ट्रॉजिट अधिनियम, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर के अपराध में दोषी पाते हुए प्रस्तुत मामले की धारा-3/28 ट्रॉजिट अधिनियम में **रु० 1000/-(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर उसे 15 दिन के साधाराण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक-06.06.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-06.06.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)